

Peer Reviewed Journal for M.Phil. , Ph.D. & Appointment of Teacher in Universities & College

ISSN : 2454-4655

VOLUME - 9 No. : 1, Feb. - 2023

International Journal of Social Science & Management Studies

Peer Reviewed & Refereed Journal

Indexing & Impact Factor 5.2



7th International Conference on
Multidisciplinary Research in



Rural, Agriculture & Industry Development

Date : 12-13 February, 2023

Venue : Hotel Pukhraj, Bhopal (M.P.), INDIA



International Journal of
Social Science & Management Studies

ग्राम पंचायत में कृषि आधारित लघु उद्योग : आवश्यकता एवं सम्भावनाएं

लोहित राम (शोधार्थी), डॉ. राम बाबू (सहायक प्राध्यापक)

राजनीति विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

सार : ग्राम पंचायत भारतीय शासन व्यवस्था की वह प्राथमिक और बुनियादी इकाई है जो न केवल नागरिकों के राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सामान्यतः यह ग्रामीण एकीकृत विकास के उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करती है। भारतीय संविधान भी ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का निर्देश देता है। इसके अंतर्गत स्थानीय शासन के रूप में ग्राम पंचायतें संसाधनों के कुशल व जिम्मेदार उपयोग से गाँव के नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदार है। वहीं देश के विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। लेकिन कृषि आधारित उद्योगों की बढ़े शहों में स्थापना न सिर्फ माल दुलाई के दोहरे यातायात खर्च से वापिस ग्रामीण क्षेत्र में उसी कृषि उपज से निर्मित वस्तुओं की कीमत बढ़ाती है बल्कि ग्रामीणों के स्थानीय रोजगार को भी कम करती है। ग्रामीण क्षेत्र से कृषि उपज के स्थान पर इससे निर्मित उत्पाद बाजार जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हो और किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए देश में 10 हजार से अधिक किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) बनाने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है। कृषि विस्तार को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की प्रायोजित कृषि योजना 'आत्मा' देश में जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर लागू की गई है। कृषि आधारित लघु उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने व इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका एवं सम्भावनाएं प्रस्तुत शोधपत्र का केंद्र बिंदु है।

शीर्ष शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, सतत विकास, कृषि आधारित लघु उद्योग, कृषि योजना आत्मा, किसान उत्पादक समूह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास

प्रस्तावना : ग्राम पंचायत वह प्राथमिक और बुनियादी इकाई है जो भारतीय लोकतंत्र की एक ठोस नींव है। साथ ही यह न केवल लोगों के राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए भी शक्तिशाली उपकरण है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। यह ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने और सीधे रोजगार प्रदान करने के साथ ही विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों की रीढ़ है। (साहू कांता कुमार, राजन परवेज और जायसवाल दीपक : 2021) भारतीय संविधान के भाग 9 में 16 नये अनुच्छेदों (243 क से 243-ण तक) और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कृषि विस्तार, भूमि सुधार एवं संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण यंत्र, लघु एवं कुटीर उद्योग इत्यादी 12 विषय प्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बंधित हैं। (सिंह संगीता : 2014)

दूसरा, 'जीपी को मुख्य विषयगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, किसानों को बेहतर कृषि इनपुट (लागत उत्पाद) उपलब्धता, कृषि विस्तार और प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता का उत्पादन व उत्पाद बिक्री के लिए बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराकर उनकी आय में सुधार के लिए सक्षम बनाते हैं।' (प्रदान एवं एनोड गवर्नर्स लेब : 2019) इसलिए सतत कृषि विकास, फसल सुरक्षा, कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से गांवों में खेती का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना,

भूमि सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता और अनाज भंडारों की स्थापना, लघु एवं कुटीर उद्योग इत्यादी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनको सरकार ने पंचायतों द्वारा निष्पादित करने के लिए सौंपा है। (मानकर डी. एम., त्रिवेकांगौदर एल.वी., मंजुनाथ एल. : 2008)

कृषि आधारित लघु उद्योगों की पृष्ठभूमि : प्राचीन भारतीय शास्त्रों में भोजन व औषधीय उपयोग के लिए कृषि उपज के प्रसंस्करण का उल्लेख मिलता है। कृषि - प्रसंस्करण मुख्यतः उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कृषि उपज को विभिन्न तरीके से परिवर्तित करके उत्पाद का रूप देता है। वहीं कृषि आधारित उद्योगों से अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में खेती-बाड़ी से है। इसमें कृषि आधारित कच्चे माल से विभिन्न प्रकार की औद्योगिक, विनिर्माण और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कृषि आधारित उद्योगों को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है - 'वे उद्योग जो कृषि आधारित कच्चे माल के उत्पादों के प्रसंस्करण करने अथवा कृषि, पशुपालन डेयरी और वन के प्राथमिक उत्पादों से नए उत्पादों का निर्माण करते हैं।' (वर्मा पूजा, अहीरवार महेश : 2020)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उद्योगों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है- विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। इन दोनों श्रेणियों को मशीनों में निवेश अथवा उपकरणों के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों में निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :

विनिर्माण उद्यम -

1. सूक्ष्म उद्योग : जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक हो।
2. लघु उद्योग : प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक व 5 करोड़ से कम।
3. मध्यम उद्योग : प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच।

सेवा उद्यम -

1. सूक्ष्म उद्योग : उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से कम।
2. लघु उद्योग : उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक व 2 करोड़ से कम।
3. मध्यम उद्योग : उपकरणों में निवेश 2 से 5 करोड़ के बीच। (डॉ. गुप्ता अंकिता : 2015)

मूल रूप से कृषि आधारित लघु उद्योग ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों से उत्सर्जित हैं जोकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि आधारित उद्योग अपनी परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं अथवा क्षमताओं के आधार पर कृषि उपज के कच्चे माल अथवा अनाज से उत्पाद निर्माण करने, उसकी पौष्टिकता व गुणवत्ता को बढ़ाने, आसानी से परिवहन योग्य बनाने तथा उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने जैसे कार्य करते हैं।

कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार : भारत में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को तीन समूहों में विभक्त किया गया है। प्रथम समूह जिसमें प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे